न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 22.3.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. भगवान सिंह आत्मज भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला (सुवाण्या) तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

....अपीलाट्स

बनाम

1. रघुवीर सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
2. शिवराज सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
3. बृजराज सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
4. महेन्द्र सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
5. देवराज सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
6. संतोषकंवर बेवा नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
7. तंवर कंवर पुत्री नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
8. बेबीकंवर पुत्री नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बूंदी।
9. मिन्टूकंवर पुत्री नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
10. नटवर कंवर पुत्री नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
11. हनुमानसिंह आत्मज नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
12. पप्पूसिंह आत्मज नन्दकंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरवाला तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
13. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय पाटोदी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नरेन्द्र कुमार अभिभाषक रेस्पो0 कम–1
श्री मनोज कुमार सुवालका रेस्पो0 कम–2 लगायत 12

:::निर्णय:::

दिनांक 25.10.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 35/अपील/2014 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान भगवान सिंह बनाम रघुवीर सिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 1.8.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 22.4.1977 ग्राम पीपरवाला तहसील नैंनवा से अप्रसन्न होकर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरकरण सं0 19 निरस्त कर

उपखण्ड अधिकारी नैंनवा के निर्णय दिनांक 15.4.1977 के मुताबिक रघुवीरसिंह के नाम खोले गये इंतकाल व शेष अपीलांट व रेस्पो0 2 से 5 व नन्दसिंह के नाम खोले गये इंतकाल मे निहित भूमियों मे अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1से 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार एंव नंदसिंह का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान 6 लगायत 12 को 1/7 हिस्से का खातेदार इंतकाल खोलकर दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील निर्णय दिनांक 1.8.2016 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 1.8.2016 वस्तुस्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मे वर्णित तथ्यो को न समझ कर कयास के आधार पर निर्णय पारित करने मे भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को इस आधार पर खारिज किया है कि इन्तकाल निर्णय व डिक्री के अनुरूप नही होने से उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वह निर्णय अनुसार पालना करवा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि उक्त निर्णय दिनांक 22.4.1977 मे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इन्तकाल गलत खोला गया है तो अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की अपील करना ही उपचार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने फिर भी अपील को खारिज करने मे कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री की पालना मे उक्त इन्तकाल गलत खोला गया है जिसे निरस्त कर डिक्री के मुताबिक खोला जाना आवश्यक है। अतः जेरअपील निर्णय दिनांक 1.8.2016 निरस्त करते हुये इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 22.4.1977 को निरस्त किया जाये और डिक्री दिनांक 15.4.77 के अनुसार इन्तकाल खोले जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मिमो मे वर्णित उपरोक्त तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपरवाला मे करीब 58 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की पुश्तैनी है जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1से 5 एंव स्व0 नन्दसिंह बराबर के हिस्सेदार है तथा उसी अनुरूप काश्त करते रहे है। नामा0 सं0 19 दिनांक 22.4.77 वस्तुस्थिति एव विधान के विपरीत है कृषि भूमि ख0 सं0 64, 65, 85, 94, 105, 146, 147, 176, 177, 155, 208 कुल किता 10 रकबा 74 बीघा 14 बिस्वा स्थित है जिसके पूर्व खातेदार फतेहसिंह थे उनका स्वर्गवास होने पर 2 पुत्र जगन्नाथ सिंह व भंवरसिंह थे, भंवरसिंह का स्वर्गवास हो गया जगन्नाथ सिंह ने भूमि विभाजन का दावा 17/76 उपखण्ड अधिकारी के यहा पेश किया जिसका दिनांक 15.4.77 को निर्णय हुआ। उस समय अपीलांट अवयस्क था। निर्णय के अनुसार जो जमीन जगन्नाथ सिंह को जानी थी वह उनके खाते अंकित हो गयी उसके अलावा शेष भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 व स्व0 नन्दसिंह आ0 भंवरसिंह के हक मे करने का आदेश किया लेकिन नामा0 खसरा संख्या 64, 65, 85, 177/1 कुल 4 किता रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा रेस्पो0 सं0 1 के खाते मे एवं ख0 सं0 94, 155, 208, 147 मिन 172/2 मिन कुल किता 4 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 2 से 5 व स्व0 नन्दसिंह के खाते अंकित कर दी गई। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय के मुताबिक नामा0 नही खोला। हमे एसडीओ की डिक्री से आपत्ति नहीं है नामा0 से आपत्ति है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बगेर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। बहस के प्रत्युत्तर मे जाहिर किया कि मियाद का बिन्दू प्रथम अपील मे निर्णित हो चुका है। डिक्री से आपत्ति नहीं है। इजराय आदेश सही था। इजराय की कैफियत गलत है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे प्रकट किया 22.4.77 के नामा0 की अपील 2014 मे लगभग 37 साल बाद पेश की गई। 37 साल बाद पेश करने के कारण का कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इनको रेगूलर वाद/डिक्री मे पारित आदेश के विरूद्ध नामा0 की अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रकार की आपत्ति थी तो डिक्री की इजराय के खिलाफ कार्यवाही करते। जगन्नाथ सिंह, भंवरसिंह, के वारिस को रेगूलर वाद मे पक्षकार नहीं बनाया। इंतकाल 20.4.77 के आदेश की पालना मे खुला है। मूल

आदेश को चेलेंज करना चाहिये था। अपने पक्ष समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 628, आरआरटी 2014(1) पेज 552, एआईआर 2007 एससी 989, डीएनजे 2012 (1) (राज.) यपेज 196, आरआरटी 2014(2) पेज 1255 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। नामा0 सं0 19 दिनांक 12.4.1977 उपखण्ड अधिकारी नैंनवा द्वारा निर्णित वाद संख्या 17/76 निर्णय दिनांक 15.4.1977 की पालना मे तस्दीक किया गया है। यदि अपीलांट इससे सहमत नही तो उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करना चाहिये। नामान्तकरण निर्णय/डिक्री के अनुरूप नही है तो न्यायालय मे इजराय प्रकरण मे उज्र प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि न्यायालय निर्णय/डिक्री अनुसार इजराय मे पालना करा सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैंनवा मिन नं0 122/प्रा.पत्र अस्थाई निोधाज्ञा/2014 रघुवीसिह बनाम महेन्द्र सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 22.12.2015 मे ताफैसला वाद रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है। ऐसी स्थिति मे भूमि ख0 सं0 85 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा के संबध मे वाद जेरकार होने संबधी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय मे वर्णित तथ्य की पुष्टि होती है। अतः उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णिय मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार हस्तक्षेप की गुजाइंश नहीं है। लिहाजा अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा